

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं० 259/2025

दायर दिनांक: 07.08.2025

उनवान

श्यामलाल पि. नन्दा जाति मेहर नि. बोरखेडी तहसील पिडावा

- वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार तहसील पिडावा जिला झालावाड

- प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट एवं


सहपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट

-: आदेश :-

दिनांक : 29.09.2025

वादी श्यामलाल पि. नन्दा जाति मेहर नि. बोरखेडी तहसील पिडावा के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों/रेकार्ड श्यामलाल का आधारकार्ड (872819844296), परिवार राशनकार्ड (200002109095), भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र (KYD0138940), पेनकार्ड (BVSPL1433L), जनाधार कार्ड (4823414112), ग्राम बोरखेडी का नामा.सं. 170 दिनांक 14.02.1992, ग्राम पंचायत खैराना का प्रमाण पत्र दिनांक 12.09.2025 एवं तहसीलदार पिडावा की रिपोर्ट पत्रांक 891 दिनांक 15.09.2025 के खाता संख्या 134 के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम बोरखेडी प.म. बोरखेडी तहसील पिडावा की जमाबन्दी सम्वत 2073-76 के खाता संख्या 177 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि (वादी का नाम) को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :-




उपखण्ड अधिकारी
पिडावा, जिला झालावाड (राज.)



क्रम संख्या	ग्राम/पटवार मण्डल/तहसील	खाता सं.	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो रेकार्ड में दर्ज की जानी)
1	ग्राम बोरखेडी प.म. बोरखेडी तहसील पिडावा	177	रामलाल पुत्री नन्दा रामचन्द्र पुत्री नन्दा	श्यामलाल उर्फ रामलाल पुत्र नन्दा रामचन्द्र पुत्र नन्दा

उपखण्ड अधिकारी पिडावा
पिडावा, जिला ~~महाराष्ट्र~~ राज०
दिनांक 29.09.2025

क्रमांक:- राजस्व/2025/ 259

प्रतिलिपी-तहसीलदार पिडावा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।

उपखण्ड अधिकारी पिडावा
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
पिडावा, जिला ~~महाराष्ट्र~~ राज०

